उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-135/2017/4082 /71-1-2017-जी-131/2015

लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरूद्ध **प्रवक्ता, फार्माकोलॉजी** की विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या- 244/06/डी0आर0/सेवा-8, 2014-15, दिनॉक 15-09-2017, पत्र संख्या-244(1)/06/डी0आर0/सेवा-8, 2014-15, दिनॉक 06-10-2017 एवं पत्र संख्या-244(2)/06/डी0आर0/सेवा-8, 2014-15, दिनॉक 30-10-2017 एवं में की गयी संस्तुति के आधार पर राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 11 अभ्यर्थियों को वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 6000/- में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) संबंधित अभ्यर्थी को प्रवक्ता के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) संबधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियो को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(7) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि संबंधित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं प्राग्वृत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नही हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव।

संख्या:-135/2017/4082(1)/71-1-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करे।
4- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ, आगरा, कानपुर, बदायूँ, इलाहाबाद, बाँदा, झाँसी, गोरखपुर, कन्नौज ।
5- कोषाधिकारी,/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ, आगरा, कानपुर, बदायूँ, इलाहाबाद, बाँदा, झाँसी, गोरखपुर, कन्नौज ।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ, आगरा, कानपुर, बदायूँ, इलाहाबाद, बाँदा, झाँसी, गोरखपुर, कन्नौज ।
7- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या-135/2017/4082 /71-1-2017-जी-131/2015,

दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम तथा अनुक्रमांक	पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहॉ तैनाती की गयी है।
1	डा0 विपिन कुमार (अनु0-52020191783)	16-बी0, केशव कुंज, प्रताप नगर, आगरा, उ0प्र0, 282010	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
2	डा0 हिमांशु शर्मा (अनु0-52020099281)	106/239 गॉधी नगर, कानपुर, उ0प्र0 208012	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
3	डा0 भौमिक गोयल (अनु0-52010028114)	श्रीराम पब्लिक स्कूल बहुगुणा मार्ग ढालवाला मुनी की रेती टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड 249137	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
4	मोहित त्रिवेदी (अनु0-52020178038)	बी0-2 सेक्टर-ए0 महानगर, लखनऊ, उ0प्र0 226006	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
5	डा0 द्विविदेन्द्र कुमार निम (अनु0-52030184278)	5बी0/56, कृष्णा नगर, शाहगंज, आगरा, उ0प्र0 282010	राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
6	डा0 अनिल कुमार (अनु0-52050674432)	द्वारा श्रीहरि बाबू शर्मा, म0 नं0-613, 1961, रामबाग कालोनी, गली नं0-2, रामघाट रोड, अलीगढ़, उ0प्र0 202002	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
7	डा0 अलका यादव (अनु0-52050106481)	108, मयूर एलाइट, फेज-1 रामबाग आगरा, उ0प्र0।	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा ।
8	डा0 शालिनी गुप्ता (अनु0-52020426874)	202, स्टाफ कालोनी, रामा डेन्टल कालेज परिसर कानपुर नगर, उ0प्र0।	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
9	डा0 वीरेन्द्र सिंह यादव (अनु0-52050719249)	128, एल0आई0जी0 कालोनी, गोविन्दपुर, इलाहाबाद, उ0प्र0 211004	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा।
10	डा0 महिमा सिंह	म0नं0-173, ग्राम पुरेतोर	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	(अनु0-52020587129)	बरूल्ली, थाना- मिल्कीपुर , फैजाबाद, उ0प्र0।	
11	डा0 मनी गोयल (अनु0-52020179754)	157/2 से0-2, जागृति विहार, मेरठ, उ0प्र0 250004	राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।